सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

Save Paper. Save Trees. Save the World.

टेलिफैक्स Telefax +91-135- 2744064, 2743331
वेबसाईट Website www.surveyofindia.gov.in
ई-मेल E-Mail sgo.e1.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Surveyor General of India
हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बक्स सं.37
Hathibarkala Estate, Post Box No. 37
देहरादून-248 001 (उत्तराखण्ड), भारत
DEHRA DUN-248 001 (Uttarakhand), India

सं. E1- 7283 /1904-PC

दिनांक Dated: 19 दिसम्बर December, 2018

सेवा में

**अपर महासर्वेक्षक:** दक्षिणी क्षेत्र/ विशिष्ट क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान/ मध्य क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ उत्तर पूर्वी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र/ मुद्रण क्षेत्र।

**निदेशक:** पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ जी.डी.सी./ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी.डी.सी./ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./ बिहार जी.डी.सी./ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी./ महाराष्ट्र एवं गोआ जी.डी.सी./ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ कर्नाटका जी.डी.सी./ राष्ट्रीय जी.डी.सी./ झारखण्ड जी.डी.सी./ मेघालय एवं अरूणाचल प्रदेश जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ मध्य प्रदेश जी.डी.सी./ हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी./ आसाम एवं नागालैंड जी.डी.सी./ उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उ०प्र० जी.डी.सी./ ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/ छत्तीसगढ़ जी.डी.सी./ तमिलनाडु, पांडिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी./ मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/ उड़ीसा जी.डी.सी./ सर्वेक्षण(हवाई) एवं दिल्ली जी.डी.सी./ भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय/ त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम जी.डी.सी./ जम्मू व कश्मीर जी.डी.सी./ गुजरात, दमन व दीव जी.डी.सी./ अंकीय मानचित्रण केन्द्र/ केरल एवं लक्षद्वीप जी.डी.सी./ उत्तरी मुद्रण वर्ग/ पूर्वी मुद्रण वर्ग/ पश्चिमी मुद्रण वर्ग/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग।

**प्रभारी:** आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी.डी.सी. (विशाखापत्तम विंग)/ महाराष्ट्र एवं गोआ जी.डी.सी. (हैदराबाद विंग)/ आसाम एवं नागालैंड जी.डी.सी.(शिलांग विंग)।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी (प्रशा.), महासर्वेक्षक का कार्यालय।

**विषय:** **केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 - संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के विकल्प में संशोधन का अवसर दिया जाना।**

**Sub:** **Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 – opportunity revision of option to come over to revised pay structure.**

A copy of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi's OM No. 4-13/17-IC/E.IIIA dated 12.12.2018 is forwarded herewith for information, guidance and wide circulation amongst staff. Accordingly, the representations received in the subject matter may be treated as disposed off.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञापन सं. 4-13/17-आईसी/ई-III(ए) दिनांक 12.12.2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं कार्मिकों के मध्य वृहत परिचालन हेतु अग्रेषित है। तदनुसार, विषय से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन निस्तारित माने जाते हैं।

संलग्न: यथोपरि।

(अमरदीप सिंह)
कर्नल
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि: प्रभारी, जे.सी.एम. व कार्य अध्ययन एकक अनुभाग(म.स.का.)।
प्रतिलिपि: कार्यालय अधीक्षक/प्रभारी: स्थापना-2/स्थापना-3 अनुभाग (म.स.का.)।
प्रतिलिपि: प्रभारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग वेबसाईट – वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

No. 4-13/17-IC/E-IIIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 12th, December, 2018

Off ice Memorandum

Subject: Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 - opportunity for revision of option to come over to revised pay structure

The undersigned is directed to invite attention to Rules 5 & 6 of the CCS (RP) Rules, 2016 regarding exercise of option to come over to the revised pay structure effective from 1.1.2016 as notified by the CCS(RP) Rules, 2016 and to say that the said option was to be exercised within 3 months of the date of notification, i.e., 25.7.2016, of the said Rules. The Rule 6(4) thereof provides that the option once exercised shall be final.

2. The Staff Side of the National Council (JCM) has requested that employees may be given another opportunity to re-exercise their option in view of certain hardships caused to certain employees. A number of references have also been received in this Ministry, proposing that the affected employees may be given an opportunity to re-exercise their option.

3. The matter has been considered and the President is pleased to decide that in relaxation of the stipulation contained in Rule 6(4) of CCS(RP) Rules, 2016, the Central Government employees, who have already exercised their option to come over to the revised pay structure as notified by the CCS(RP) Rules, 2016, shall be permitted another opportunity to revise their initial option in terms of Rules 5 & 6 thereof. The revised option shall be exercised within a period of 3 months from the date of issue of these orders. The option once exercised in terms of these orders shall be final and shall not be liable to any further change under any circumstances. All other terms and conditions as laid down in the said Rules 5 and 6 shall continue to be applicable.

4. It is obvious that in respect of those employees who have already exercised option to come over to the revised pay structure from 01.01.2016 itself or in whose case the revised pay structure took effect from 01.01.2016 and who re-exercise their option under these orders to come over to the revised pay structure from a date subsequent to 01.01.2016 as per Rule 5 of CCS (RP) Rules, 2016, the arrears on account of revised pay already drawn by them from 01.01.2016 up to the date from which they now opt to come over to the revised pay structure shall be recovered.

5. In their application to the employees serving in IA&AD, these orders were issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Amar Nath Singh)
Director

To,

1. All Ministries/Departments of the Government of India (As per standard distribution list)
2. Guard File
3. NIC with the request that the same be posted on the website of Ministry of Finance, Department of Expenditure.

**सं. 4-13/17-आईसी/ई-III(ए)**
**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**व्यय विभाग**

नई दिल्ली 12 दिसम्बर, 2018

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

**विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016- संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के विकल्प में संशोधन का अवसर दिया जाना।**

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के लिए विकल्प चुने जाने के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 5 और 6 की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विकल्प उपर्युक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 25.07.2016 से तीन माह के अंदर चुना जाना था। इन नियमों के नियम 6(4) में प्रावधान है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।

2. राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शी तंत्र) के कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया है कि कुछ कर्मचारियों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए कर्मचारियों को अपना विकल्प पुन: चुनने का एक और अवसर दिया जाए। इस मंत्रालय को भी यह प्रस्ताव करते हुए अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि प्रभावित कर्मचारियों को अपना विकल्प पुन: चुनने का एक और अवसर दिया जाए।

3. इस मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने विनिश्चय किया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 6(4) में उल्लिखित शर्त में छूट देते हुए केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पहले ही चयन कर चुके हैं, उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार अपने पहले विकल्प को संशोधित करने का एक और अवसर दिया जाएगा। संशोधित विकल्प का प्रयोग इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 3 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। इन आदेशों के अनुसार एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त नियम 5 और 6 में यथानिर्धारित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें लागू रहेंगी।

अमरनाथ

4. यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने 01.01.2016 से ही संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुना है या जिनके मामले में संशोधित वेतन संरचना 01.01.2016 से लागू है, और जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 5 के अनुसार 01.01.2016 के बाद की तारीख से इन आदेशों के तहत संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पुन: प्रयोग करेंगे, उनसे 01.01.2016 से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प के चयन की तारीख तक आहरित संशोधित वेतन के फलस्वरूप उन्हें दी गई बकाया राशि वसूल ली जाएगी।

5. भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. गार्ड फाइल
3. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।